न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—**प्रभजोत सिह गिल (आर.ए.एस.)**
राजस्व वाद : दावा अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.
मुकदमा नं. — 36/2022 **निर्णय दिनांकः—20.12.2023**

1. जसविन्द्र कौर पत्नी जीवन सिंह जाति रामगढ़िया निवासी भाखरांवाली तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. हरजीत कौर पत्नी जगमीत सिंह जाति रामगढ़िया निवासी भाखरांवाली तहसील सगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1 महेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी भाखरांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2 तहसीलदार (राजस्व), संगरिया।

अप्रार्थीगण

उपस्थित
श्री राजेश बुडानिया — अधिवक्ता वादी
श्री अनिल कुमार — अधिवक्ता प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है प्रार्थीगण के नाम चक 1 केएसडी खाता सं. 213/181 ज.सं. 2072—75 में संयुक्त खाते में 0.759 हेक्टेयर कृषि भूमि दर्ज है। प्रार्थीगण का प.नं. 172/116 मु.नं. 62 किला नंबर 23,24 पर कब्जा है। अपने खेत तक पहुंचने के लिए मु.नं. 62 के कि.नं. 25 में से रास्ता चाहा गया है। राजस्व रिकॉर्ड में किला नंबर 25 प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या एक ने अपने जवाब में निम्नलिखित आपत्तियां पेश की है। मु.नं. 62 के कि.नं. 23,24 प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में नहीं है। मु.नं. 62 के किला नंबर 25 में कभी भी कोई रास्ता मौजूद नहीं रहा है। प्रार्थीगण वर्तमान में मु.नं. 63 के कि.नं. 21,20,11,10,1 व 2 से होते हुए अस्थाई रास्ते द्वारा खातेदारों की रजामंदी से अपनी ढाणी व खेत में आवागमन करता है। अगर मु.नं. 62 के किला नंबर 25 में रास्ता स्वीकार किया जाता है तो इससे अप्रार्थी के खेत के दो टुकड़े हो जाएंगे।

इस संबंध में तहसीलदार रिपोर्ट पर गौर किया गया। मेरा मानना है कि प्रतिवादी द्वारा पेश की गई आपत्तियों जायज नहीं है। इसकी वजह इस प्रकार है कि तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक मु.नं. 62 के किला नंबर 23 और 24 पर प्रार्थीगण का कब्जा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीगण वर्तमान में मुरब्बा नंबर 63 के किला नंबर 11,10,1,2 में से होकर अपने खेत तक पहुंच रहा है, लेकिन यह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इसलिए इस रास्ते को धारा 251 ए के तहत विकल्प रास्ते के तौर पर मान्यता नहीं दी जा सकती। रिपोर्ट से स्पष्ट है की प्रार्थीगण के खेत तक पहुंचने का नजदीकी रास्ता मु.नं. 62 के किला नंबर 25 से होकर बनता है, क्योंकि मुरब्बा नंबर 62 और 63 के किला नंबर 5,6 15,16,25 में कटान रास्ता दर्ज है। यह सही है कि मु.नं. 62 के किला नंबर 25 में रास्ता स्वीकृत किए जाने पर प्रतिवादी के खेत के

दो टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रतिवादी की जमीन को Consolidated रखते हुए रास्ता दिया जाता है तो प्रतिवादी की अधिक जमीन रास्ते में अधिग्रहण होगी। इसलिए मु.नं. 62 के किला नंबर 25 में से रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प.नं. 172/116 मु.नं. 62 के किला नंबर 25 की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ 16 फुट चौड़ी जमीन को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से डीएलसी की दोगुना राशि राजकोष में जमा करवाने के पश्चात, उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे तथा रास्ता को मौके पर चालू करवाएं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मांग किए जाने पर उक्त जमा राशि अप्रार्थी संख्या 1 को लोटा दी जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रभजोत सिह गिल)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया